

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(साख निर्धारण एजेसियाँ) विनियम, 1999

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(Credit Rating Agencies) Regulations, 1999

००० १२

[विनियम 28G(2)]
[Regulation 28G(2)]

ईएसजी रेटिंग प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION AS AN ESG RATING PROVIDER

- I. बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) [सेबी अधिनियम] के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित, सेबी अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा, / In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with the rules and regulations made thereunder, the Board hereby grants a certificate of registration to

SHESH ENVIRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
201-301, UNION TRADE CENTER, NEAR APPLE HOSPITAL,
UDHANA DARWAJA, SURAT,
GUJARAT - 395002

को ईएसजी रेटिंग प्रदाता के रूप में / as an Environmental, Social, and Governance (ESG) Rating Provider, श्रेणी / under Category I / II के अंतर्गत, विनियमों के अनुसार और विनियमों में दी हुई शर्तों के तहत, ईएसजी रेटिंग प्रदान करने का कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है / in accordance with and subject to the conditions in the regulations to carry out the activity of an ESG Rating Provider.

- II. ईएसजी रेटिंग प्रदाता की रजिस्ट्रीकरण सं. है / Registration Code for the ESG Rating Provider is IN/ERP/ Category-II/00010
- III. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहेगा, जब तक इसे बोर्ड द्वारा निर्लंबित या रद्द न कर दिया जाए। This certificate of registration shall be valid till it is suspended or cancelled by the Board.

SEBI

स्थान Place : Mumbai

13/08/2024
तारीख Date :

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
के द्वारा दिया गया
By order
For the
behalf of
Securities and Exchange Board of India

RACHNA ANAND
प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता Authorised Signatory